1	विभाग–	गन्ना विकास विभाग
2	योजना का नाम –	**जिला योजना**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	1– :–योजनान्तगत कुल 6 कार्यक्रम संचालित है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है। (क) आधार पौधशाला अधिष्ठापन :– आधार पौधशाला अधिष्ठापन हेतु एक कृषक को अधिकतम 25 कु0 अभिजनक गन्ना बीज गन्ना दिया जायेगा तथा आधार पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज के वितरण पर आधार पौधशालाधारक को अंकन रु. 50/– कु0 की दर से अनुदान देय होगा। (ख) प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन :– प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन हेतु एक कृषक को अधिकतम 50 कु0 आधारीय गन्ना बीज गन्ना दिया जायेगा तथा प्राथमिक पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज के वितरण पर प्राथमिक पौधशालाधारक को अंकन रु. 25/– कु0 की दर से अनुदान देय होगा। (ग) बीज एवं भूमि उपचार :–बीज एवं भूमि उपचार के लिए उपयोगित कीटनाशकों के मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम अंकन रु0 500.00 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा। (घ) पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम :– पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम के अर्न्तगत यूरिया छिडकाव में प्रयुक्त होने वाली कीटनाशक के मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम अंकन रु0 150.00 प्रति हेक्टेयर का अनुदान देय होगा। (ड) बीज यातायात कार्यक्रमः– (i) बीज यातायात कार्यक्रम के अर्न्तगत अभिजनक गन्ना बीज (ब्रीडर सीड) शोध केन्द्र/कृषक प्रक्षेत्र से यातायात हेतु अंकन रु0 15 प्रति कुन्तल की दर से अनुदान देय होगा। (ii) आधार बीज यातायात कार्यक्रम के अर्न्तगत कृषकों के यहॉ स्थापित आधार पौधशालाओं में उत्पादित आधार बीज से प्राथमिक पौधशालाओं की स्थापना हेतु अंकन रु0 7.00 की दर से अनुदान देय होगा। (च) जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोगः– जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम अंकन रु0 600.00 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा।
4	पात्रता की अर्हता–	1– कृषक गन्ना समिति का वैधानिक सदस्य एवं गन्ने की खेती करता हो 2– कृषक चीनी मिल को विगत 3 वर्षो से गन्ने की आपूर्ति करता हो। 3– कृषक पर गन्ना समिति का एक वर्ष से अधिक पुराना बकाया न हो।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	डी.बी.टी. व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।
6	लिंक वेबसाईट	http://www.upagriculture.com/Registration_page.html
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी अथवा उप गन्ना आयुक्त, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।